भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1815

09 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

ग्रामीण और टियर-।।/ टियर-।।। क्षेत्रों में आधुनिक आवास निर्माण प्रौद्योगिकियां

1815 डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विकसित आधुनिक, किफायती, आपदा-प्रतिरोधी और टिकाऊ आवास निर्माण प्रौद्योगिकियों को गांवों और टियर ॥ और टियर-।।। शहरों में पर्याप्त रूप से अपनाया या मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जा रहा है;
(ख) क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के समन्वय से, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऐसी आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों और नवीन आवास डिजाइनों को बड़े पैमाने पर अपनाने को बढ़ावा देने का विचार रखती है; और
(ग) उन्नत आवास प्रौद्योगिकियों के लाभों को जमीनी स्तर पर किफायती, सुरक्षित आवास में परिवर्तित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, स्थानीय निकायों और कारीगरों की क्षमता निर्माण और राज्यों की तकनीकी भूमि स्वामित्व सहित क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, आवासन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। ग्रामीण और शहरी आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और निर्माण प्रौद्योगिकियों को मुख्य रूप

से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और यूएलबी/यूडीए द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं और लागू कानूनों के अनुसार अपनाया जाता है।

मंत्रालय ने आर्दश भवन उप-नियम (एमबीबीएल)-2016 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/MBBL.pdf) जारी किए हैं, जिसमें अध्याय-10 राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए हरित भवनों और सुस्थिर प्रावधानों से संबंधित है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के घर प्रदान करना है। पीएमएवाई-यू के तहत, आवासों के तेजी से और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आधुनिक, नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों और निर्माण सामग्री को अपनाने हेतु सहायता प्रदान के लिए एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन (टीएसएम) शुरू किया गया था। टीएसएम विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लेआउट डिजाइन और भवन योजनाओं को तैयार करने और अपनाने में सहायता प्रदान करता है। यह राज्यों/शहरों को आपदा प्रतिरोधी और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को प्रयोग करने में भी सहायता करता है।

इसके अलावा, टीएसएम के तहत टियर- II/III क्षेत्रों सहित देश भर में आवासों के तेज, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल डिजाइन, जलवायु अनुकूल, आधुनिक, अभिनव और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:

(i) टीएसएम के तहत, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज - इंडिया (जीएचटीसी-इंडिया) का आयोजन विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम सिद्ध निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान करने और उन्हें मुख्य रूप से अपनाने के लिए किया गया था, जिसमें प्रीफेब्रिकेटिड तकनीक शामिल है जो तेज, टिकाऊ, हरित और आपदा प्रतिरोधी हैं। जीएचटीसी-इंडिया के तहत, दुनिया भर से चयनित 54 नवीन सिद्ध निर्माण प्रौद्योगिकियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आगे अपनाए जाने के लिए विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के अनुसार 6 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया था, जो www.ghtc-india.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ii) जीएचटीसी-इंडिया के तहत चुनी गई 6 अलग-अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए 6 लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) का निर्माण देश में 6 स्थानों पर किया गया है, जिसमें प्रत्येक स्थान पर 1,000 आवासीय इकाइयां (डीयू) हैं। ये परियोजनाएं टिकाऊ और आपदा-प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयास में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती हैं।

(iii) 6 एलएचपी में बड़े पैमाने पर साइट विजिट के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये दौरे 25,000 से अधिक हितधारकों की भागीदारी के साथ नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नवीन और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी और ऊर्जा-कुशल सामग्री का प्रदर्शन करने और पेशेवरों के बीच तकनीकी जागरूकता फ़ैलाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए 13 प्रदर्शन आवास परियोजनाएं (डीएचपी) देश के विभिन्न हिस्सों में बनाई गई हैं।

(v) निर्माण के लिए नई और उभरती निर्माण सामग्रियाँ, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के बारे में पेशेवरों के निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए नवरीतिह (न्यू, एफोर्डेबल, वेलिडेटिड, रीसर्च, इनोवेशन टेक्नोलोजिज फॉर इंडियन हाउसिंग) नामक एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

(vi) 2021 में भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेला (आईएचटीएम) का आयोजन निम्न और मध्यम ऊँचाई वाले घरों के लिए घरेलू स्वदेशी और नवीन प्रौद्योगिकियों, निर्माण सामग्री और निर्माण प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। इसके अलावा, भारतीय शहरी आवास सम्मेलन 2022 के तहत, 85 से अधिक नवीन निर्माण प्रणालियों और सामग्रियों को प्रदर्शित करने के लिए अभिनव निर्माण प्रथाओं पर एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की गई थी।

(vii) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जीआईजेड और भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) के सहयोग से अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों और

किफायती आवास के लिए थर्मल कम्फर्ट पर रचना(रिजिलेंट, अफोर्डिबल एंड कमफर्टेबल हाउसिंग थ्रू नेशनल एक्शन) नामक प्रशिक्षण/कार्यशालाओं की श्रृंखला की मेजबानी की है, देश भर में 150 से अधिक रचना प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं, जिसमें 11,000 से अधिक हितधारकों को शामिल किया गया है।

(viii) देश की विभिन्न भू-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल उन उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान, मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन योजना (पीएसीएस) संचालित की जा रही है, जो सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हैं और बीएमटीपीसी द्वारा गुणवत्तापूर्ण घरों की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करती हैं। पीएसीएस के तहत अब तक 88 अभिनव उत्पादों और प्रणाली को प्रमाणित किया जा चुका है।

(ix) क्षमता निर्माण और नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों पर सहायता के लिए राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से ऑफसाइट कार्यशालाओं/वेबिनार, वेबकास्टिंग, तकनीकी जानकारी/मॉड्यूल पर एक श्रृंखला आयोजित की गई थी।

(x) नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों और तेज, पर्यावरण के अनुकूल, ऊर्जा-कुशल, लागत प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल, आपदा प्रतिरोधी, टिकाऊ निर्माण प्रणाली से संबंधित अन्य क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकाशन किए गए हैं।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में किफायती कीमत पर 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा घर बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। टीएसएम की प्रगति के आधार पर, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत प्रौद्योगिकी और नवाचार उप-मिशन (टीआईएसएम) द्वारा देश में स्थायी आवासन के लिए नवीन डिजाइन और निर्माण प्रथाओं को सहायता देना, गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देना और हरित भवन मानकों को अपनाना जारी है। टीआईएसएम पारंपरिक निर्माण सामग्री प्रथाओं के स्थान पर आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों और सामग्री को मुख्य रूप से अपनाने और आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न नियामक और प्रशासनिक निकायों के साथ समन्वय के माध्यम

से विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लेआउट डिजाइन और भवन योजनाओं को अपनाने को बढ़ावा देता है।

इस स्कीम के तहत परियोजनाएं संसाधन कुशल, जलवायु उत्तरदायी, आपदा प्रतिरोधी, पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी निर्माण सामग्रियाँ, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के उपयोग को बढ़ावा देती हैं। यह परियोजना थर्मल कम्फर्ट प्रदान करने, ऊर्जा उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी निर्माण प्रथाओं सहित प्रचलित मानकों और विशिष्टताओं के अनुरूप ग्रीन बिल्डिंग मानदंडों को भी अपनाती है।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत बहुमंजिला परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) के रूप में एक अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान किया गया है।

****